

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(11)

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1979—पीबीआर/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 28—2—13
पारित द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक
12/अ—12/2012—13.

- 1— रमेश पुत्र पन्नालाल विश्वकर्मा
 2— भगवती प्रसाद पुत्र पन्नालाल विश्वकर्मा
 कृषक ग्राम पुरामन भावन
 निवासीगण ईस्तामनगर, भोपालआवेदकगण
विरुद्ध

शब्बन खां पुत्र हमीद खां मंसूरी
 निवासी श्यामपुर
 तहसील हुजूर जिला भोपालअनावेदक

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
 श्री एल.एन. मालवीय, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
 (आज दिनांक 11/8/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—2—13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम पुरामनभावन तहसील हुजूर जिला भोपाल रिथित सर्वे कमांक कमशः 101/4, 105/2, 106/1, 107/1 एवं 109/2 रकबा कमशः 0.10, 0.02, 0.11, 0.03 एवं 0.04 कुल रकबा 0.32 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ—12/2012—13 दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 28—2—13 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

०००१

०००१

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एकपक्षीय होकर निरस्ती योग्य है। यह भी कहा गया कि आवेदकगण को सीमांकन कार्यवाही में सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है, और न ही आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया है। इस आधार पर कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन के पूर्व सभी पड़ोसी कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना दी जाकर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों एवं उपस्थित पंचों के समक्ष खुटिया गाड़कर सीमांकन किया गया है एवं पंचनामा तैयार किया गया, और आवेदकगण सीमांकन के समय उपस्थित थे, किन्तु उनके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार के प्रकरण में सूचना पत्र की प्रति संलग्न है, जिस पर अन्य व्यक्तियों सहित आवेदक कमांक 2 भगवती प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार सीमांकन पंचनामा, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं, में यह उल्लेख किया गया है कि सीमांकन के समय आवेदकगण उपस्थित थे, किन्तु उनके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र की विधिवत तामीली कराई गई जाकर, उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा उक्त सीमांकन की पुष्टि करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-2-13 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर